

# FORM NO. III

APP-A  
Crim-I

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

2021/159

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम बुधबुध  
शुरेश कुमार पुत्र योशियार सिंह बनाम शुभराम पुत्र दाताराम  
 किस्म मुकदमा अपील नं. 33 सन् 2021

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए
22/04/2021	यह अपील अधिकवक्ता श्री रजेश बागोरिया द्वारा प्रस्तुत करने पर बाद जांच पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलबाने पर रेस्पोंडेंट्स की तलबी जारी हो। मिसल मातहत तलब हो। पञ्जावली वारंट तलबी दिनांक 21-05-2021 को पेश हो।	15/01/21
21/5/21	कोविड - 19 के कारण न्यायालय में न्यायिक कार्य स्थगित है। P.O साहब कोविड-19 महामारी रोकथाम की व्यवस्थाओं में व्यस्त पञ्जावली वारंट आदेशानुसार दिनांक 21/6/21 को पेश हो।	15/01/21
21/6/21	कोविड - 19 के कारण न्यायालय में न्यायिक कार्य स्थगित है। P.O साहब कोविड-19 महामारी रोकथाम की व्यवस्थाओं में व्यस्त पञ्जावली वारंट आदेशानुसार दिनांक 21/7/21 को पेश हो।	
21/7/21	कोविड - 19 के कारण न्यायालय में न्यायिक कार्य स्थगित है। P.O साहब कोविड-19 महामारी रोकथाम की व्यवस्थाओं में व्यस्त पञ्जावली वारंट आदेशानुसार दिनांक 21/8/21 को पेश हो।	
21/8/21	पञ्जावली पेश है। वकील अपीलकर्ता उप. पञ्जावली वारंट तलबी दिनांक 01/9/21 को पेश हो।	



अति. जिला कलक्टर

का पेश हो।

जा.  
बौद्ध विद्यापीठ  
बुधसूत्र

29/10/21 पत्रावली पेश हुई वकील पत्र कार्याग उपस्थित।

पत्रावली में आदेश पत्र बहस सूची गई। पत्रावली  
वास्ते आदेश एवं तलवी दिनांक 10/11/21 को पेश हो

जा.  
बौद्ध विद्यापीठ  
बुधसूत्र

10/11/21 पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उमय पक्ष  
उपाधिगत। दस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता  
रेश्मों। श्री ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र  
भित्तगत द्वारा 107 आ दीवानी का अवलोकन  
किया एवं विद्वान अधिवक्ता उमय  
पक्ष को बहस पर मनन किया तथा  
विद्वान अधिवक्ता रेश्मों। द्वारा प्रस्तुत  
मायिक दृष्ट्येत AIR 2011 पटना पेज  
66 का ध्यान एवं अवलोकन किया।  
गया।

विद्वान अधिवक्ता रेश्मों नं. 1 का ध्यान  
है कि अपीलान्त में दस्तगत अपील लक्ष्मीलक्ष्मी  
पुधना के आपसी सहमति के विभाजन  
आदेश दिनांक 04/2/2021 के विकल्प  
पक्ष को ही ध्यान कथन किया गया कि  
आपसी सहमति के आधार पर अगर  
जमीन का विभाजन किया जाता है तो  
उस आदेश को जरिये अपील-वैलेंज  
नहीं किया जा सकता। कपट व  
मुगावले के आधार पर अगर कोई  
पक्ष और आपसी सहमति से पारित

विभाजन के चलेज करता है तो वह उस  
 विभाजन निर्णय के सिर्फे उसी न्यायालय  
 में चलेज किया जा सकता है जिस न्यायालय  
 ने आपकी सहायि से विभाजन निर्णय पारित  
 किया है। विज्ञम अधिवक्ता रेणुका मेकर-1 ने  
 आपने अपने के समर्थन में AIR 2011

पटना पेज 66 न्यायिड दृष्ट्यंत पत्र किया  
 गया। अधिवक्ता अपीलॉट द्वारा ऐसा कोई कर्म  
 नहीं होने का निवेदन किया गया।  
 मरे द्वारा उक्त न्यायिड दृष्ट्यंत व प्रार्थना  
 पत्र चारा 107 CPC व अपील पत्रावली  
 का ध्यान रखेड अवलोकन किया गया।  
 दस्तगत अपील न्यायालय तटपालदार बुधन  
 द्वारा आपकी सहायि के आधार पर पारित  
 निर्णय दिनेड 04/2/2021 विभाजन प्रस्ताव  
 के विरुद्ध पेज की गई है। न्यायिड दृष्ट्यंत  
 AIR 2021 पेज 66 दस्तगत प्रकरण में  
 लागू होती है। सहायि से किसे गये

विभाजन प्रस्ताव निर्णय के विरुद्ध यह  
 अपील पोषणीय नहीं होने से प्रस्ताव के  
 लक्ष्यो से परिस्थितियों को देखते हुये  
 प्रार्थना पत्र चारा 107 CPC स्वीकार  
 किया जाता है। प्रार्थना पत्र चारा 107  
 CPC स्वीकार होने से अपील अपीलॉट  
 खारिज की जाती है। आदेश सुनाया  
 गया। पत्रावली फॉल भुमार होकर  
 दर्ज नैकर से कम ले वका चाह  
 लक्ष्मीय जाहता डाकिल दफतर  
 है।

जय  
 अति. जिला कलेक्टर  
 हुंडुवा